दलित आरक्षण एवं पंचायती राज व्यवस्था
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

पूर्णिमा शुक्ला

राज्य द्वारा लाए जानेवाले सामाजिक परिवर्तन का एक अन्य आधार हमारी पंचायत राज संस्थाएँ हैं। भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। अनेक धर्मग्रन्थों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाभारत काल से लेकर काफी समय बाद तक ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित बनाने और गाँव की सभी समस्याओं को सुलझाने में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।

दलितों की राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने एवं राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आजादी के तुरंत बाद भारतीय संविधान में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी तथा लोकसभा एवं विधानसभाओं में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए। भारतीय संविधान में राज्य स्तर से नीचे अर्थात् पंचायत स्तर पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का नियम यह है कि किसी पंचायत के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या का जो प्रतिशत होता है उसी के अनुपात में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है। नयी पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तरह के पदों के लिए महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देना आवश्यक है। पंचायत के सदस्यों के अतिरिक्त पंचायत के प्रधान, प्रमुख या अध्यक्ष पद के लिए भी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं।